[21/12/2022]

प्रश्नांश "ख" का परिशिष्ट-1

प्रश्न सं. [क्र. 868]

सदन में उत्तर देने का दि. 21/12/2022

परिशिष्ट–1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 868 द्वारा श्री अर्जुन सिंह काकोडिया सत्र दिसम्बर 2022

सिवनी जिले के अन्तर्गत 02 ऑनलाईन आवेदन किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1– सिवनी जिले में कन्या शिक्षा परिसर, कुरई के नवीन भवन निर्माण हेतु सहायक आयुक्त, आदिमजाति विभाग, सिवनी द्वारा 4.00 हेक्टेयर का ऑनलाईन आवेदन वर्ष 2020 में किया गया था। ऑनलाईन आवेदन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव को दिनांक 25.10.2021 से राज्य शासन को प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 01.12.2021 से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 07.01.2022 से 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई। जनजाति कार्य विभाग सिवनी द्वारा 04 बिन्दुओं की जानकारी वन मण्डल अधिकारी को प्रेषित की गई। वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सिवनी द्वारा मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित जानकारी को इस कार्यालय में दिनांक 09.03.2022 को प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी का परीक्षण करने पर पाया गया कि भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी आवेदक संस्थान ने उपलब्ध नहीं कराई गई, उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वनसंरक्षक सिवनी एवं आवेदक विभाग को दिनांक 01.06.2022, 29.06.2022 से लेख किया गया, किन्तु आज तक आवेदक संस्थान ने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रस्ताव आवेदक संस्थान स्तर पर लंबित है।

2– सिवनी जिले में महाविद्यालय के निर्माण हेतु 14.00 हेक्टेयर का ऑनलाईन आवेदन प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरई, जिला–सिवनी द्वारा किया गया। ऑनलाईन आवेदन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण होने के पश्चात प्रस्ताव राज्य शासन को दिनांक 25.10.2021 से प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। राज्य शासन ने 14.00 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए। आवेदक विभाग द्वारा 4.00 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।

06/12/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल